

बिहार सरकार
जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, बेगूसराय।
E-mail Id – zilaparishadbegusarai@gmail.com
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 04(R1)/2023-2024

1	विज्ञापनदाता का नाम	जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय।
2	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांक- 31.08.2024
3	परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय	दिनांक- 11.09.2024 से दिनांक- 18.09.2024 तक कार्यालय कार्यावधि में 5:00 बजे अपराह्न तक
4	प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के कार्यालय में दिनांक- 13.09.2024 के अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
5	संवेदक द्वारा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 19.09.2024 के अपराह्न 5:00 बजे तक
6	परिमाण विपत्र बिक्री एवं जमा करने का स्थान (अंकित सभी स्थानों पर बिक्री/जमा किया जा सकता है)	1. जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय। 2. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बेगूसराय। 3. उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विकास भवन, समाहरणालय, बेगूसराय।
7	तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक - 21.09.2024 के पूर्वाह्न 11:00 बजे, डी0आर0डी0 सभा कक्ष, विकास भवन, समाहरणालय, बेगूसराय
8	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार स्थान, तिथि एवं समय की सूचना बाद में तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं को दी जाएगी।
9	निविदा की वैधता की अवधि	120 दिन

10. कार्य का विवरण :-

ग्रुप सं०	जि०प० क्षेत्र संख्या	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	योजनाओं का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य अप्रत्यक्ष (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	20	बरौनी	सिमरिया 02	वार्ड सं० 01 में डी० विद्यासागर ठाकुर घर के पीछे जलापूर्ति सहित सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य। (Tied Grant)	8,17,000	16,400	1,250	03 माह
14	20	बरौनी	सिमरिया 02	वार्ड सं० 05 में जलापूर्ति सहित सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य। (Tied Grant)	8,17,000	16,400	1,250	03 माह
17	20	बरौनी	सिमरिया 02	वार्ड सं० 03 में जलापूर्ति सहित सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य। (Tied Grant)	8,17,000	16,400	1,250	03 माह
22	27	बेगूसराय	हैवतपुर	हैवतपुर पं० अन्तर्गत चांदपुरा बांध से भगवतीस्थान मंदिर तक पथ का पी०सी०सी० ढलाई कार्य। (Tied Grant)	8,28,400	16,600	1,250	03 माह
23	27	बेगूसराय	मोहनपुर	मोहनपुर पं० अन्तर्गत वार्ड सं० 12 में ग्रामीण सड़क से सीताराम सिंह के घर तक पथ का पी०सी०सी० ढलाई कार्य। (Tied Grant)	8,23,000	16,500	1,250	03 माह
24	27	बेगूसराय	मोहनपुर	मोहनपुर पं० अन्तर्गत अर्जुन सिंह के घर से सीताराम सिंह के घर तक पथ का पी०सी०सी० ढलाई कार्य। (Tied Grant)	8,23,000	16,500	1,250	03 माह
34	15	वीरपुर	नौला	बदिया दुग्ध समिति का चहारदिवारी सहित गेट निर्माण कार्य। (UnTied Grant)	6,53,100	13,100	1,250	03 माह
38	28	डंडारी	कटरमाला दक्षिणी	प्राथमिक विद्यालय सुधरण (पिपरवा) का चहारदिवारी गेट सहित निर्माण कार्य। (UnTied Grant)	8,39,878	16,800	1,250	03 माह
41	32	बलिया	ताजपुर	गोखले नगर विष्णुपुर में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति में चहारदिवारी सहित गेट का निर्माण कार्य। (UnTied Grant)	13,63,100	27,300	2,500	03 माह

44

11. विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र या अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा दस्तावेज (परिमाण विपत्र) निर्गत किया जाएगा, साथ ही जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्गत एवं जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के पदनाम से बेगूसराय शाखा में भुगतें हो, मूल में जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय / उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विकास भवन, समाहरणालय, बेगूसराय / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बेगूसराय के कार्यालय में परिमाण विपत्र खरीदते समय जमा करना आवश्यक होगा, परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायेगा।
12. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। तदनुसार (आकलित लागत का 2% रु 100 के गुणक में) अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
13. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवा निर्गम), डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबुक/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा पासबुक, एवं बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका में 161 में वर्णित अग्रधन मान्य होगा, जो न्यूनतम अगले 01 वर्ष के लिए मान्य हो एवं जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिए, ही मान्य होगा।
14. अधोहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताए निविदा को स्थगित / विस्तारित / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर संवेदक को हस्ताक्षर करना है तथा सभी मुहरबंद लिफाफे पर ग्रुप संख्या एवं अपना पूरा पता, मोबाइल संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
16. निविदा निम्न लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी :-
 - (क) प्रथम मुहरबन्द लिफाफा (सील बन्द) में तकनीकी बीड रहेगा, जिसमें निम्नलिखित कागजात होंगे :-
 - (a) कार्य से सम्बंधित समुचित रूप में अग्रधन की राशि अनिवार्य होगा।
 - (b) संवेदक का अपना अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित) अनिवार्य होगा।
 - (c) जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
 - (d) पैन कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
 - (e) आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
 - (f) Labour License की छायाप्रति (एकरारनामा के समय)।
 - (g) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
 - (h) चेकलिस्ट भर कर हस्ताक्षर कर के जमा करना होगा।
 - (i) निम्न आशय का मूल शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (i) यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायलय में विचाराधीन नहीं है।
 - (ii) यह कि मुझे किसी सरकारी / अर्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar, Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
 - (iii) यह कि मेरा कोई निकटतम संबंधी (संबंधी से अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष से संबंधी) सम्बंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता / सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता / लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
 - (iv) "I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing."
 - (v) शपथ-पत्र निविदा निर्गत की तिथि के बाद का मान्य होगा अन्यथा संवेदक को तकनीकी रूप से अमान्य कर दिया जायेगा।
- (ख) द्वितीय मोहरबन्द लिफाफे में वित्तीय बीड रहेगा :-

जिस पर संवेदक अपना दर अंकित करेंगे, जो दशमलव के बाद दो अंक तक ही मान्य होगा। निविदादाता के द्वारा जो दर अंकित किया जाएगा, वह सुस्पष्ट तथा अंक एवं शब्द दोनों में अंकित करना होगा।

इस दोनों मोहरबन्द लिफाफों को एक तीसरे मोहरबन्द लिफाफे में रखकर ही निविदा डाली जाएगी। यह तीनों लिफाफा विधिवत सील होना अनिवार्य है।
17. निविदा दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना के 4439(E) Date- 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक- 536 दिनांक- 18.07.2023 के अलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No- 9941/2022 Date- 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।
18. निविदा दर Seriuos Unbalanced Rate होने की स्थिति में Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना की अधिसूचना संख्या- 447(S) दिनांक- 16.01.2020 सह-पठित- झापांक- 448(S) दिनांक- 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
19. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदा दर अंकित होने की स्थिति में सफल निविदादाताओं का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 में प्रावधान के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

4

20. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग की अभिसूचना संख्या 13589(S) पटना, दिनांक- 13.12.2011 की कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रुपये 25.00 लाख तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-4 में बेगूसराय जिलान्तर्गत निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
21. PWD के कंडिका- 159(क)(ii) के आलोक में किसी एक निविदादाता की एक समय में अधिकतम तीन योजनाओं या योजनायें जिनकी कुल लागत- 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये से अधिक न हो, की सीमा तक की योजनायें के लिए कार्य आवंटित की जा सकेगी।
22. निविदा के पूर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट होकर ही निविदा डालेंगे अन्यथा कार्य के दौरान या इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
23. सफल निविदाकार को प्रपत्र F2 (कंडिका 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
24. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के अलोक में जी0 एस0 टी0, आयकर, रॉयल्टी, मालिकाना फीस, लेवर सेस एवं अन्य अनुमान्य करों की कटौती की जाएगी एवं भुगतान के समय जी0 एस0 टी0 सफाया पत्र (GST-3B) अद्यतन रहने की स्थिति में ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
25. कार्य में प्रयुक्त लघु खनिज की धुलाई (Carriage) के सत्यापन हेतु संवेदक द्वारा E-Challan समर्पित करने के उपरांत ही उनको इस मद का भुगतान किया जाएगा।
26. अस्पष्ट एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
27. निविदा निष्पादन के दौरान उन निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा जिनके विरुद्ध विभाग से कालीकरण की कार्रवाई चल रही है, या कार्यकलाप संदेहास्पद हो या इस जिला परिषद में पूर्ण किये कार्य संतोषप्रद नहीं है।
28. डिफेक्ट एवं लाईबिलिटी पीरियड कार्य समाप्ति के तिथि के बाद से 06 माह का होगा।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, बेगूसराय।